जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड

फॉर्म भरने हेतु गाइडलाइन्स (Guidelines)

(अ) ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया :

1. टैंकर हेतु आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः ऑन–लाईन होगी।
2. जयपुर दुग्ध संघ की वैबसाईट पर आवश्यक वेब–पेज पर आवेदक दुग्ध समिति को ऑन–लाईन आवेदन करना होगा।
3. दुग्ध संघ द्वारा आवेदन प्राप्ति के पश्चात् आवेदन तथा दस्तावेजों का सत्यापन एक कमेटी के माध्यम से किया जायेगा।
4. पात्र आवेदनो की जांच के पश्चात् प्रत्येक जिले/जोन में टैंकर आंवटन करने हेतु लॉटरी निकाली जायेगी तथा उसी के आधार पर टैंकर आवंटन किया जायेगा।

(ब) ऑनलाईन आवेदन हेतु पात्रता एवं मापदण्ड :

1. जयपुर दुग्ध संघ अधीनस्थ प्रत्येक जिले/जोन मे निर्धारित टैंकर संख्या के अनुसार ही दुग्ध समितियों को टैंकर आंवटन किये जायेगें।
2. केवल जयपुर दुग्ध संघ के अधिनस्थ दुग्ध समितियॉ (बीएमसी से वंचित) ही आवेदन कर सकेगी।
3. बीएमसी दुग्ध समितियॉ आवेदन नहीं कर सकेगी।
4. आवेदक दुग्ध समिति के पास पूर्व से स्वयं का कोई टैंकर नही होना चाहिये।
5. आवेदक दुग्ध समिति के समिति के बचत खाते मे दिनांक 31 मार्च 2026 को समिति बचत खाते मे टैंकर के कुल मूल्य का 50% भाग, अर्थात 14 लाख रुपए तथा 5 वर्ष हेतु रू0 5,00,000/– (पॉच लाख रूपये) का सिक्यूरिटी डिपोजिट अर्थात अतः कुल राशि रुपए 19 लाख समिति के बचत खाते में होना अनिवार्य होगा।
6. जो दुग्ध समिति केवल मिलावट (निम्न गुणवत्ता) के कारण कभी भी बन्द की गयी हो, वह आवेदन हेतु अयोग्य होगी।
7. आवेदक दुग्ध समिति को के पिछले वित्तिय वर्ष अर्थात 2024–25 की ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. आवेदक दुग्ध समिति द्वारा प्रबन्ध कार्यकारिणी का टैंकर आंवटन करने हेतु प्रस्ताव संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(स) ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों का निरस्तीकरण :–

1. जो दुग्ध समितियॉ उक्त वर्णित बिन्दु संख्या ब पर आवेदन हेतु पात्रता एवं मापदण्ड को पूर्ण नही करने वाली दुग्ध समितियों का आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा।

2. निर्धारित समय–सीमा के पश्चात किसी भी दुग्ध समिति को आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
3. यदि आवेदक दुग्ध समिति के संलग्न दस्तावेजों मे कोई कमी पायी जाती है तो आवेदक से निर्धारित समयावधि मे ऑन–लाईन ही आवश्यक दस्तावेज मांगे जायेंगे।
4. यदि किसी आवेदन पर अन्य दुग्ध समिति को कोई आपत्ति हो तो ठोस सबूत के साथ ऑन–लाईन आपत्ति दर्ज करवा सकेगें।

(द) टैंकर स्वामित्व एवं स्थानान्तरण व्यय :

वर्तमान मे सभी टैंकर जयपुर दुग्ध संघ के स्वामित्व मे है। अतः लॉटरी के पश्चात् दुग्ध समिति के नाम पर आर.सी. एवं टैंकर स्थानान्तरण मे आने वाला समस्त व्यय सम्बन्धित दुग्ध समिति द्वारा वहन किया जायेगा।

(य) प्रतीक्षा सूची :

प्रत्येक जोन मे एक अतिरिक्त टैंकर हेतु आरक्षित लॉटरी निकाली जायेगी। यदि चयनित आवेदक अधिकतम सात दिवस में भुगतान एवं स्थानान्तरण प्रक्रिया पूर्ण नही करता है, तो उसका आंवटन निरस्त कर आरक्षित सूची के आवेदक को टैंकर आवंटित किया जायेगा।

(र) राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश एवं अन्य सुसंगत नियम :

राजस्थान सरकार, परिवहन विभाग, गौपालन विभाग, आरसीडीएफ लि0 जयपुर, दुग्ध संघ जयपुर, RTTP के सुसंगत नियम, आदेश, निर्देश एवं परिपत्र जो समय–समय पर जारी किये गये है तथा वर्तमान में प्रासंगिक हैं, वह स्वंत ही लागू होगें जो इस परिपत्र के जारी निर्देशों के विरुद्ध ना हो। आवेदक दुग्ध समिति को उक्त की पालना करना अनिवार्य होगा एवं आवश्यकतानुसार दुग्ध संघ जयपुर द्वारा स्पष्ट किये जा सकेगें।